प्रेषक,

जिला विद्यालय निरीक्षक
इलाहाबाद

सेवा में,

समस्त अशासकीय (बालक विद्यालय)
हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट कालेज,
इलाहाबाद

पत्रांक/ 7484-85 /2017-18 दिनांक 17.8.2017

विषयः जनपद के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के अवशेष देयकों की अनुमन्यता के प्रकरणों के प्रेषण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शिक्षा निदेशक(मा0) उ0प्र0 शिक्षा अर्थ(1)/1108-1321/2017-18 दिनांक 05.05.2017 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा बालिका विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के अवशेष देयक प्रस्तुत करते समय सम्बन्धित अवशेष वेतन देयक में निम्नलिखित पत्रजात प्रस्तुत किए जाने के निर्देश प्राप्त है :-

1-नियुक्ति से सम्बन्धित अवशेष वेतन देयक में वांछित पत्रजातः-

1-नियुक्ति पत्र, 2-कार्यभार ग्रहण पत्र, 3-जिला विद्यालय निरीक्षक के अनुमोदन की प्रति, 4-प्रकरण का संक्षिप्त इतिहास, उसमें संदर्भित पत्राजातों की प्रतियॉ एवं दोहरे भुगतान की स्थिति सहित, 5-अधियाचन की प्रति, 6-कार्य करने का प्रमाण पत्र।

2-माननीय उच्च न्यायालय से सम्बन्धित अवशेष वेतन देयक में वांछित पत्रजातः-

1-माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की प्रमाणित प्रति, 2-रिट याचिका एवं प्रतिशपथपत्र की प्रमाणित प्रतियॉ, 3-प्रकरण का संक्षिप्त इतिहास एवं उसमें संदर्भित पत्रों की प्रतियॉ, 4-मा0उच्च न्यायालय के आदेशानुपालन में निर्गत जि0वि0नि0 इलाहाबाद तथा संबंधित अधिकारी के पत्रों की प्रमाणित प्रतियॉ, 5-जिस विषय पर माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर हुई है, उसकी प्रतियॉ, 6-माननीय उच्च न्यायालय की अवमानना की स्थिति में अवमानना में हुये आदेश की प्रति एवं अद्यतनप स्थिति, 7-विशेष अपील यदि हो तो उसमें पारित आदेश एवं दाखिल प्रतिशपथपत्र की प्रतियॉ।

3-वेतन निर्धारण के अवशेष वेतन देयक में वांछित पत्रजातः-

1-पूर्ण सेवा पंजिका की जिला विद्यालय निरीक्षक तथा वित्त एवं लेखाधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतियॉ, 2-वेतन निर्धारण तालिका की प्रति, 3-जिस कारण से वेतन निर्धारण हुआ है उस आदेश की प्रति, 4-प्रकरण का संक्षिप्त इतिहास(विलम्ब के कारण सहित जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्रमाणित करा कर प्रेषित किया जाय।

4- निलम्बन एवं सेवा समाप्ति से संबंधित अवशेष वेतन देयक में वाछित पत्रजातः-

1-निलम्बन आदेश की प्रति, 2-बहाली आदेश की प्रति, 3-जिला विद्यालय निरीक्षक का अनुमोदन आदेश, 4-निलम्बन बहाली के उपरान्त कार्यभार ग्रहण पत्र की प्रति, 5-निलम्बन अवधि में संबंधित पद पर दोहरे भुगतान की स्थिति, 6-प्रकरण का संक्षिप्त इतिहास एवं उसमें संदर्भित पत्रों की प्रतियॉ, 7-पूर्ण सेवा पुस्तिका की प्रमाणित प्रतियॉ।

5–अवकाश स्वीकृति का अवशेष वेतन देयक में वांछित पत्रजात:–

1–अवकाश लेखा की प्रमाणित प्रति, 2–सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवकाश स्वीकृति पत्र की प्रमाणित प्रतियॉ, 3–अवकाश अवधि में दोहरे भुगतान की स्थिति स्पष्ट करते हुये आख्या, 4– प्रकरण का संक्षिप्त इतिहास।

उक्त आदेश के अनुपालन में आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण कार्यालय में प्रेषित किये जाने के पूर्व दिये गये निर्देश के कम में उल्लिखित पत्राजातों को संलग्न कर भलभॉति परीक्षणोपरांत ही अवशेष देयक बिल प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें ताकि अवशेष देयकों के भुगतान में अनावश्यक विलम्ब न हो।

भवदीय

(आर0एन0विश्वकर्मा)
जिला विद्यालय निरीक्षक
इलाहाबाद

पृ0सं0 / 7484-85 / 2017–18 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: शिक्षा निदेशक(मा0) उ0प्र0 शिक्षा अर्थ(1) / 1108–1321 / 2017–18 दिनांक 05.05.2017 कम में सादर प्रेषित।

(आर0एन0विश्वकर्मा)
जिला विद्यालय निरीक्षक
इलाहाबाद

JY 2016 J